

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ.ग.)

// संशोधित कार्यविभाजन आदेश //

क्रमांक 08/एक-11-1/98

दुर्ग, दिनांक-13/6/2025

माननीय रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 387/गोपनीय/2025/दो-3-1/2025, विलासपुर, दिनांक 7/5/2024 के तहत कु0 आकांक्षा राठौर की पदस्थापना, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के रूप में होने से, पूर्व में प्रसारित कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 07/सा.लि./एक-11-1/98, दुर्ग, दिनांक 01/04/2025 में संशोधन किया जाना आवश्यक होने से, निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, जो दिनांक 06/2025 से प्रभावशील होगा :-

- कार्य विभाजन आदेश के पेज क्रमांक 23 के सरल क्रमांक 29 के स्कंभ क्रमांक-5 रिक्त न्यायालय को विलोपित कर उसके स्थान पर स्कंभ क्रमांक - 3,4,5 में निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

3	4	5
सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उदभूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
	2	उक्त तहसीलों से उदभूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन पचास हजार एक रुपये से पचहत्तर हजार रुपये तक हो का निराकरण करना।
	3	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
	4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।

- कार्य विभाजन आदेश के पेज क्रमांक 20 के सरल क्रमांक 21 के स्कंभ क्रमांक-5 की कंडिका-2 में पचहत्तर को विलोपित कर उसके स्थान पर पचास शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है।
- कार्य विभाजन आदेश के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य परिशिष्ट बी में क्रमांक-13 के बाद 14 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

क्र0	न्यायालय का नाम	आवश्यक कार्य हेतु अधिकृत न्यायालय
14	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग एवं उनके अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम अति0व्या0न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग तथा इन सभी की अनुपस्थिति में क्रमशः द्वितीय/तृतीय/प्रथम व्या0न्याया0वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग तथा इन सबकी अनुपस्थिति में क्रमशः व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी भिलाई-3/ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी पाटन/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के अति0 न्यायाधीश, धमधा।

(के0विनोद कुमार)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 दुर्ग (छ0ग0)
 13/06/25

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ.ग.)

// संशोधित कार्यविभाजन आदेश //

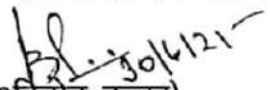
क्रमांक 09/एक-11-1/98

दुर्ग, दिनांक-30/6/2025

पूर्व में प्रसारित कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 07/सा.लि./एक-11-1/98, दुर्ग, दिनांक 01/04/2025 में संशोधन किया जाना आवश्यक होने से, निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, जो दिनांक 1/7/2025 से प्रभावशील होगा :-

- 1 कार्य विभाजन आदेश के पेज क्रमांक 15 के सरल क्रमांक 10 के स्कंभ क्रमांक-5 की कंडिका-9 में रिक्त नवम, दशम एवं एकादश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग / रिक्त नवम, दशम एवं एकादश अतिरिक्त मो0दु0दा0अधि0, दुर्ग के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य संपादित करना के बाद (बलात्संग से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) जोड़ा जाना प्रस्तावित है।
- 2 कार्य विभाजन आदेश के पेज क्रमांक 06 के सरल क्रमांक 2 के स्कंभ क्रमांक-5 की कंडिका-6 के बाद 7 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जाना प्रस्तावित है :-

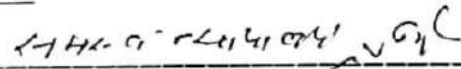
7. रिक्त नवम, दशम एवं एकादश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग / रिक्त नवम, दशम एवं एकादश अतिरिक्त मो0दु0दा0अधि0, दुर्ग के न्यायालय के (बलात्संग से संबंधित प्रकरणों से संबंधित प्रकरण) के अत्यावश्यक कार्य संपादित करना तथा उनके निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं माननीय उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय से प्रत्यावर्तित किये गए प्रकरण एवं आदेश का पालन करना।


(के0विनोद कुजूर)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक.....2234...../सां.लि./एक-11-1/98,

दुर्ग दिनांक-01/6/2025
07

प्रतिलिपि:-

1.  (सर्व संबंधित)।
2. प्रशासनिक अधिकारी, दुर्ग।
3. प्रस्तुतकार/प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(के0विनोद कुजूर)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (छ0ग0)

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश ::

क्रमांक.....07./सां.लि./एक-11-1/98

दुर्ग दिनांक-01/4/2025

मैं डॉ. प्रज्ञा पचौरी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़), सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 21(3) (4) द.प्र.सं. की धारा 10 (2)(3) / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में इस हेतु जारी किये गये कार्य विभाजन संबंधी सभी आदेशों को अतिष्ठित करते हुये सिविल जिला दुर्ग के समस्त न्यायालयों के लिए सिविल दावा प्रकरण, विशेष प्रकरण, सत्र प्रकरण व अन्य दांडिक प्रकरण तथा आवेदन पत्रों के संबंध में (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्य विभाजन के संबंध में किये गये आदेशों को छोड़कर) निम्नलिखित कार्य विभाजन आदेश जारी करती हूँ:-

यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक-1/4/2025 से प्रभावशील होगा, परंतु पूर्व से लंबित समस्त प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र		प्रकरणों का प्रकार
1	2	3	4	5
1	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग 2. विशेष न्यायाधीश, निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 3. वाणिज्यिक अपील न्यायालय (प्रधान जिला न्यायाधीश स्तर) 4. विशेष न्यायाधीश, दुर्ग अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, अतिरिक्त प्रभार	सिविल जिला दुर्ग एवं सत्र खण्ड दुर्ग (तहसील पाटन एवं उप सत्र खण्ड पाटन को छोड़कर)	1 2 3 4	समस्त सत्र प्रकरण। (उन सत्र प्रकरणों को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार अन्य विशेष न्यायालय को है।) समस्त आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक कार्यवाहियाँ। धारा 408 एवं 409 द.प्र.सं./ 448 एवं 449 भारतीय नाग0सु0सं0 के अंतर्गत आवेदन पत्रों की सुनवाई। दुर्ग जिले के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट, (तहसील पाटन के न्यायिक मजि0 को छोड़कर), जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं, के न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, जिसमें आरोपी के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रों को निरस्त किये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत किये जाने वाले जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण। Chhattisgarh Protection of Depositors Interest Act, 2005 के अंतर्गत सभी प्रकरण एवं उनसे उद्भूत मामलें। (छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के अधिसूचना क.-9742/3446/21-ब/2015 दिनांक-09.10.2015 सह. रजिस्ट्री पृष्ठांकन क.-8250/तीन-2-3/2015, दिनांक-15.10.2015 द्वारा अधिसूचित)।

			5 थाना-राजस्व जिला दुर्ग के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र (दुर्ग, पदमनाभपुर, मोहन नगर, सुपेला, वैशालीनगर, छावनी, पुलगांव, धमधा, नंदनी, बोरी, भिलाई नगर, भिलाई भट्टी, खुर्सीपार, नेवई, थाना-ए.जे.के., महिला थाना, अण्डा, उतई (तहसील पाटन के क्षेत्र को छोड़कर) जामुल, शासकीय रेल पुलिस भिलाई (चौकी दुर्ग एवं चरोदा), भिलाई-03, कुम्हारी, अमलेश्वर (तहसील पाटन के क्षेत्र को छोड़कर), से प्रस्तुत होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र धारा-306, 304 बी एवं 376 भा.द.सं./ 108, 80 एवं 64 भा0न्या0सं0 को छोड़कर, जो द.प्र.सं./ भारतीय नागरिक सुरक्षा सं0 की दी गई अनुसूची के अनुसार सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा, का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण करना। 1. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 3. विद्युत अधिनियम, 2003 एवं 4. चिल्ड्रन कोर्ट के क्षेत्राधिकार, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न (बलात्कार के प्रकरण) से संबंधित जमानत आवेदन पत्र को छोड़कर) 6 थाना भिलाई-3 के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त आई.पी.सी./भा0 न्याय सं0, आर्म्स एक्ट तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से संबंधित भा0दं0संहिता/भा0न्याय सं0 की विभिन्न धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र. सं./ 482, 483 भा0ना0सु0सं0 जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार इस कार्यवितरण आदेश के तहत अन्य न्यायालय को दिया गया है, को छोड़कर जमानत आवेदन पत्रों का विधिवत् निराकरण करना। 7 केन्द्रीय अधिनियमों, राज्य के अधिनियमों, अन्य नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त दाण्डिक प्रकरण, आवेदन, अपील, पुनरीक्षण एवं संदर्भ जो सत्र न्यायालय में पेश किये जाने योग्य हो और जिसके संबंध में इस कार्य विभाजन आदेश में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, प्रस्तुत किये जावेंगे। 8 सिविल जिला दुर्ग के सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन एक करोड़ एक रुपये एवं इससे अधिक हो.
--	--	--	--

			9	आर्बिट्रेशन एन्ड कान्सिलिएशन एक्ट, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं Scheme for appointment of arbitrator by the Chief Justice के अनुसार माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिये गये अधिकारों के तहत प्रकरण।
			10	छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम, 1956, छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 एवं नगर पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले चुनाव याचिकाओं एवं उससे संबंधित प्रकरणों का निराकरण।
			11	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग, पाटन एवं भिलाई-3 द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम, 1961 के कमांक 370 की धारा 13 (5) एवं 172 (3) के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण।
			12	धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।
			13	छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें।
			14	पांच सौ एक रुपये से एक हजार रुपये तक मूल्य के लघुवाद प्रकरण।
			15	केन्द्रीय अधिनियमों, राज्य के अधिनियमों, अन्य नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण, आवेदन, अपील, पुनरीक्षण एवं संदर्भ, जो प्रधान जिला न्यायालय या मूल अधिकारिता वाले जिले के प्रमुख न्यायालय में पेश किए जाने योग्य हों और जिनके संबंध में इस कार्य विभाजन आदेश में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, वे प्रस्तुत किए जायेंगे।
			16	मानवाधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 30 के प्रकरणों की सुनवाई एवं विचारण। (छ.ग. शासन की अधिसूचना क.-1496/डी 329/21-ब/2008 दिनांक-18.02.2008)
			17	को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से संबंधित उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।
			18	पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 से उत्पन्न प्रकरण।
			19	प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के अधीन प्रस्तुत समस्त प्रकरण का निराकरण करना।
			20	ट्रेड एण्ड मर्चेन्टाइज मार्क्स एक्ट 1958 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण का निराकरण करना।
			21	कम्पनी एक्ट से उत्पन्न प्रकरण जो कि जिला न्यायाधीश द्वारा विचारण योग्य हो।
			22	राज्य फाईनेन्शियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना।

		23	लोक परिसर अधिनियम (पब्लिक प्रमिसेस एक्ट) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना।
		24	भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलों का निराकरण करना। (उन प्रकरणों को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार अन्य न्यायालयों को प्रदान किया गया है।)
		25	मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत प्रस्तुत व्यवहार व विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
		26	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 से उत्पन्न समस्त प्रकरण एवं अपीलें (उन प्रकरणों को छोड़कर जिनके संज्ञान के अधिकारिता व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी को प्रदान किये गये हैं।)
		27	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
		28	Specific Relief Act, 1963 (47 of 1963) and Specific Relief Amendment Act, 2018, 2016) की धारा 20 (बी) के अधीन दस लाख एक रुपये से अधिक के वाद मूल्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की संविदा के संबंध में प्रस्तुत वाद का निराकरण करना। (छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्यविभाग नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक-7782/2124/21-ब/सी.जी./2019, दिनांक-02.08.2019)
		29	औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) के तहत अपराधों के विचारण एवं उक्त अधिनियम के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अन्य अपराधों की सुनवाई। (छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्यविभाग नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक-460/134/21-ब/2016, दिनांक-12.01.2016 सह रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र.-632/ दो-15-4 /2010, दिनांक-27.01.2016 द्वारा अधिसूचित)।
		30	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में होने वाले निराकरण से उद्भूत अपील की सुनवाई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक-एफ-25-8/2011/नौ/55, दिनांक-09.10.2017)।

			31 Rights of Persons with Disabilities Act, (No. of 49 of 2016) के तहत घटित होने वाले अपराधों के विचारण हेतु सुनवाई। (छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्यविभाग नया रायपुर की अधिसूचना पृष्ठांकन क. -10059/2991/21-ब/छ.ग./2018, दिनांक-06.10.2018 सह रजिस्ट्री पृष्ठांकन क. -10305/चेकर/तीन-6-4/2018, दिनांक-29.10.2018)। 32 संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1956 की धारा-8 के तहत प्रस्तुत होने वाले संपत्ति से संबंधित आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण। 33 दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगाँव एवं कबीरधाम जिले से उत्पन्न होने वाले समस्त वाणिज्यिक अपीलें। 34 अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण। 35 खनिज एवं खान (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1975 के तहत मामले (छोगाशासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के अधिसूचना क्र० एफ 4072/3861सी०जी०/2024/, दि० 13/11/2024 द्वारा अधिसूचित) 36 रजिस्ट्री पृ० क्रमांक 92/चेकर/तीन-6-3/2024, बिलासपुर, दिनांक 3/1/2025 एवं विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना एफ.क्र. 01/4556/21-बी/सी०जी०/2024, दिनांक 1/1/2025 के अनुसार नागरिक उडयन सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों के दमन (संशोधन) अधि० 1994 (Unlawful Acts against safety of civil aviation (amendment) Act, 1994 (No. 66 of 1982)) से संबंधित अपराधों का विचारण एवं निराकरण
2	अपर सत्र न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), दुर्ग	सत्र खण्ड दुर्ग (उप सत्र खण्ड पाटन को छोड़कर)	1 माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की अधिसूचना क्रमांक 3618/ दो-15-2/2012 बिलासपुर दिनांक-09.05.2013 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 4328, बिलासपुर, दि० 21/6/2013 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध (यौन उत्पीड़न) से संबंधित मामले की सुनवाई हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत आने वाले सत्र प्रकरण एवं इससे संबंधित जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण, जो समय-समय पर सत्र न्यायालय द्वारा भेजे जायें।

			2	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।
			3	राजस्व जिला दुर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी आरक्षी केन्द्रों से (उप सत्र खंड पाटन को छोड़कर) भा.द.सं. की धारा 306, 304 (बी), 376, 354/ भा0न्या0सं0की धारा 108, 80 , 64 एवं 74 के तहत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र का विधिवत् निराकरण करना। (जिसमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के साथ अनु.जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम दोनो का आरोप है, के प्रकरणों को छोड़कर)
			4	बालकों के विरुद्ध अपराध या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में प्रकरणों का निराकरण एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण। (छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना दिनांक- 30.04.2013 के तहत बालक संरक्षण आयोग अधिनियम 2005)
			5	किशोर न्याय बोर्ड, दुर्ग के आदेश से उत्पन्न (जिला दुर्ग के समस्त थानों से उद्भूत) समस्त दांडिक अपीलें अंतर्गत धारा 101 किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015.
			6	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशासिक प्रकरणों का निराकरण करना।
3	1. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा सदस्य प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग 2. विशेष न्यायाधीश, दुर्ग (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988) 3. विशेष न्यायाधीश दुर्ग, (विद्युत अधिनियम, 2003)	सिविल जिला दुर्ग एवं सत्र खण्ड दुर्ग (तहसील पाटन एवं उप सत्र खण्ड पाटन को छोड़कर)	1	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।
			2	थाना मोहन नगर, थाना दुर्ग, के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त आई.पी.सी./भा0 न्याय सं0, आर्म्स एक्ट तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से संबंधित भा0दं0संहिता/भा0न्याय सं0 की विभिन्न धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं./ 482, 483 भा0ना0सु0सं0 जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार इस कार्यवितरण आदेश के तहत अन्य न्यायालय को दिया गया है, को छोड़कर जमानत आवेदन पत्रों का विधिवत् निराकरण करना।

			3	रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक बी/2754/तीन-6-4/2003, दिनांक-16/04/2013 के प्रकाश में सत्र खण्ड, दुर्ग से उत्पन्न भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण व उनसे संबंधित विविध व अनुषांगिक कार्यवाहियों एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
			4	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153, 154, 155 के अंतर्गत :- 1. सत्र खण्ड दुर्ग के समस्त थानों से प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण. 2. सिटी डिवीज़न दुर्ग द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण. 3. प्रस्तुत होने वाले ओ.एण्ड एम. डिविजन दुर्ग के प्रकरण व उससे संबंधित विविध एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
			5	सिविल जिला दुर्ग से उद्भूत (तहसील पाटन को छोड़कर) सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन पचहत्तर लाख एक रु. से एक करोड़ रुपये तक हो का निराकरण करना।
			6	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र 1. मोहन नगर 2. दुर्ग के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			7	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलों का निराकरण करना।
			8	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरण, सिविल अपील, विविध सिविल अपील, विविध कार्यवाहियां, निष्पादन प्रकरण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण।
			9	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			10	प्रथम/द्वितीय व्यव.न्याया. वरिष्ठ श्रेणी एवं प्रथम व्यव.न्याया. वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के प्रथम एवं द्वितीय अति. न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलों का निराकरण।

			11	रिक्त, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश के अत्यावश्यक कार्य संपादित करना तथा उनके निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं माननीय उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय से प्रत्यावर्तित किये गए प्रकरण एवं आदेश का पालन करना।
4	1. द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग 2. विशेष न्यायाधीश दुर्ग (विद्युत अधिनियम 2003)	सिविल जिला दुर्ग एवं सत्र खण्ड दुर्ग (तहसील पाटन एवं उप सत्र खण्ड पाटन को छोड़कर)	1	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।
			2	आरक्षी केन्द्र छावनी एवं आरक्षी केन्द्र नेवई से उत्पन्न समस्त आई.पी.सी./भा0न्या0सं., आर्म्स एक्ट तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से संबंधित भा0दं0 संहिता/भा0न्या0सं. की विभिन्न धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं./ 482, 483 भा0ना0सु0स0 जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार इस कार्यवितरण आदेश के तहत अन्य न्यायालय को दिया गया है, को छोड़कर जमानत आवेदन पत्रों का विधिवत् निराकरण करना।
			3	विद्युत अधि0 2003 की धारा 153, 154, 155 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सिटी ईस्ट एवं वेस्ट भिलाई डिविज़न, के प्रकरण व उससे संबंधित विविध एवं अनुषांगिक कार्यवाहियों एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
			4	सिविल जिला दुर्ग से उद्भूत (तहसील पाटन को छोड़कर) सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन पचास लाख एक रुपये से पच्छहत्तर लाख रू. तक हो का निराकरण करना।
			5	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र 1.छावनी 2. नेवई के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			6	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलों का निराकरण करना।
			7	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरण, सिविल अपील, विविध सिविल अपील, विविध कार्यवाही एवं निष्पादन प्रकरण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण।

			8	तृतीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्ती से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपील का निराकरण।
			9	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
	3. वाणिज्यिक न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर) दुर्ग।		10	दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले से उत्पन्न सभी वाणिज्यिक मामले, जिनका मूल्य दस लाख से पचास लाख रुपये तक हो, मध्यस्थम विवाद से संबंधित प्रकरणों को सम्मिलित करते हुये, का निराकरण करना।
5	1. तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा सदस्य तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग 2. विशेष न्यायाधीश दुर्ग (विद्युत अधिनियम 2003) 3. श्रम न्यायाधीश, श्रम न्याय दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग एवं सत्र खण्ड दुर्ग (तहसील पाटन एवं उप सत्र खण्ड पाटन को छोड़कर)	1	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।
			2	आरक्षी केन्द्र पुलगांव एवं उसकी चौकी जेवरा सिरसा एवं चौकी अंजोरा, आरक्षी केन्द्र अण्डा से उत्पन्न समस्त आई.पी.सी./भा0न्यायसं0, आर्म्स एक्ट तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से संबंधित भां0दं0 संहिता/भा0न्याय सं0 की विभिन्न धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं./482, 483 भा0ना0सु0सं0, जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार इस कार्यवितरण आदेश के तहत अन्य न्यायालय को दिया गया है, को छोड़कर जमानत आवेदन पत्रों का विधिवत् निराकरण करना।
			3	विद्युत अधि0 2003 की धारा 153, 154, 155 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ओ. एण्ड एम. डिवीजन भिलाई के प्रकरण व उससे संबंधित विविध एवं अनुशांगिक कार्यवाहियों एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण.
			4	सिविल जिला दुर्ग से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन चालीस लाख एक रुपये से पचास लाख रु. तक हो का निराकरण करना।
			5	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र 1. पुलगांव, 2. अण्डा, 3. चौकी जेवरा सिरसा, 4. चौकी अंजोरा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			6	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलों का निराकरण करना।

			7	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरण, सिविल अपील, विविध सिविल अपील, विविध कार्यवाही एवं निष्पादन प्रकरण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण।
			8	प्रथम व्य0न्या0 वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्या0के तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम अति0 न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिकी से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलों का निराकरण।
			9	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
6	1. चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा सदस्य चतुर्थ अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग 2. विशेष न्यायाधीश, दुर्ग (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988) 3. विशेष न्यायाधीश, दुर्ग (स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985)	सिविल जिला दुर्ग एवं सत्र खण्ड दुर्ग (तहसील पाटन एवं उप सत्र खण्ड पाटन को छोड़कर)	1	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।
			2	महिला थाना सेक्टर 6 भिलाई, जामुल, नंदनी, शासकीय रेल्वे पुलिस (चौकी दुर्ग एवं चरौदा) से उत्पन्न समस्त आई.पी.सी./ भा0न्याय0सं., आर्म्स एक्ट तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से संबंधित भा0दं0 संहिता/ भा0न्याय0सं0 की विभिन्न धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं./ 482, 483 भा0ना0सु0सं0 जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार इस कार्यवितरण आदेश के तहत अन्य न्यायालय को दिया गया है, को छोड़कर एवं आबकारी उपनिरीक्षक दुर्ग शहर (पूर्व) एवं दुर्ग शहर (पश्चिम) से आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से संबंधित जमानत आवेदन पत्रों का विधिवत् निराकरण करना।
			3	विधि एवं विधायी कार्यविभाग नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक-399/1382/XXI-B/C.G./2023 दिनांक-02.05.2024 के अनुसार सत्र खण्ड दुर्ग के थाना दुर्ग, पदमनाभपुर, सुपेला, मोहन नगर, जामुल, खुसीपार, भिलाई-03, नेवई, छावनी, भिलाई नगर थाने से उत्पन्न स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण व उनसे संबंधित विविध व अनुशांगिक कार्यवाहियों एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण करना।
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरण, सिविल अपील, विविध सिविल अपील, विविध कार्यवाही, निष्पादन प्रकरण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण।

			5	सिविल जिला दुर्ग से उद्भूत (तहसील पाटन को छोड़कर) सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन तीस लाख एक रुपये से चालीस लाख रुपये तक हो का निराकरण करना।
			6	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र जामुल, नंदिनी, जी.आर.पी. (चरोदा एवं दुर्ग) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			7	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलों का निराकरण करना।
			8	प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी दुर्ग, समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी दुर्ग (जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य जगह उल्लेख न हो) एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी दुर्ग के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्की से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलों का निराकरण।
			9	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
7	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य पंचम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग एवं सत्र खण्ड दुर्ग (तहसील पाटन एवं उप सत्र खण्ड पाटन को छोड़कर)	1	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।
			2	थाना कुम्हारी, भिलाई भटठी, वैशाली नगर, खुर्सीपार, से उत्पन्न समस्त आई.पी.सी./ भा0न्या0सं0, आर्म्स एक्ट तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से संबंधित, भा0दं0संहिता / भा0न्या0सं0 की विभिन्न धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द. प्र.सं./ 482, 483 भा0ना0सु0सं0 जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार इस कार्यवितरण आदेश के तहत अन्य न्यायालय को दिया गया है, को छोड़कर, का निराकरण करना।
			3	सिविल जिला दुर्ग से उद्भूत (तहसील पाटन के क्षेत्र को छोड़कर) सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन पच्चीस लाख एक रुपये से तीस लाख रुपये तक हो का निराकरण करना।

			4	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र 1. कुम्हारी 2. भिलाई भट्ठी 3. वैशाली नगर 4. खुर्सीपार के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			5	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलों का निराकरण करना।
			6	दशम/एकादश/द्वादश/चतुर्दश/पंचदश/षोडश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी दुर्ग के न्यायालय द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित एवं विविध व्यवहार अपील का निराकरण।
			7	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरण, सिविल अपील, विविध सिविल अपील, विविध कार्यवाही, निष्पादन प्रकरण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण।
8	1. षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य षष्ठम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग 2. विशेष न्यायाधीश, दुर्ग (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988)	सिविल जिला दुर्ग एवं सत्र खण्ड दुर्ग (तहसील पाटन एवं उप सत्र खण्ड पाटन को छोड़कर)	1	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।
			2	थाना अमलेश्वर (तहसील पाटन के क्षेत्र को छोड़कर) थाना उतई (तहसील पाटन के क्षेत्र को छोड़कर) व उसकी चौकी मचांदूर से उत्पन्न समस्त आई.पी.सी./भा0न्या0सं.,आर्म्स एक्ट तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से संबंधित भा0दं0संहितां /भा0न्या0सं0 की विभिन्न धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द. प्र.सं./ 482, 483 भा0ना0सु0स0 जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार इस कार्यवितरण आदेश के तहत अन्य न्यायालय को दिया गया है, को छोड़कर का निराकरण करना एवं आबकारी उपनिरीक्षक दुर्ग आंतरिक, आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त 2 भिलाई, आबकारी उपनिरीक्षक (उत्तर), आबकारी उपनिरीक्षक (दक्षिण), आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त आंतरिक धमघा, आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त 1 एवं 3 से आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से संबंधित जमानत आवेदन पत्रों का विधिवत् निराकरण करना।

			3	सिविल जिला दुर्ग से उद्भूत (तहसील पाटन के क्षेत्र को छोड़कर) सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन बीस लाख एक रुपये से पच्चीस लाख रुपये तक हो का निराकरण।
			4	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र 1. अमलेश्वर (तहसील पाटन के क्षेत्र को छोड़कर) 2. उतई (तहसील पाटन के क्षेत्र को छोड़कर) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			5	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलों का निराकरण करना।
			6	पंचम्/षष्ठम्/सप्तम्/अष्टम्/नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलो का निराकरण करना।
			7	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरण, सिविल अपील, विविध सिविल अपील, विविध कार्यवाही, निष्पादन प्रकरण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण।
			8	रिक्त द्वादश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.) दुर्ग के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य संपादित करना तथा उनके निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं माननीय उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम् न्यायालय से प्रत्यावर्तित किये गए प्रकरण एवं आदेश का पालन करना।
			9	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
9	1. सप्तम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा सदस्य सप्तम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग 2. विशेष न्यायाधीश, दुर्ग (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988)	सिविल जिला दुर्ग एवं सत्र खण्ड दुर्ग (तहसील पाटन एवं उप सत्र खण्ड पाटन को छोड़कर)	1	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।

			2	थाना भिलाई-नगर, थाना पदमनाभपुर से उत्पन्न समस्त आई.पी.सी./भा0न्या0सं.आर्म्स एक्ट तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से संबंधित भा0दं0संहितां /भा0न्या0सं0 की विभिन्न धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द. प्र.सं./ 482, 483 भा0ना0सु0सं0 जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार इस कार्यवितरण आदेश के तहत अन्य न्यायालय को दिया गया है, को छोड़कर का निराकरण करना ।
			3	सिविल जिला दुर्ग से उद्भूत (तहसील पाटन के क्षेत्र को छोड़कर) सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन पन्द्रह लाख एक रुपये से बीस लाख रुपये तक हो का निराकरण ।
			4	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र भिलाई-नगर, थाना पदमनाभपुर, थाना भिलाई-3 के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले ।
			5	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलों का निराकरण करना ।
			6	सप्तदश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी धमधा, प्रथम व्य0न्या0वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्या0के अति0न्या0 स्थान धमधा द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलों का निराकरण करना ।
			7	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरण, सिविल अपील, विविध सिविल अपील, विविध कार्यवाही, निष्पादन प्रकरण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण ।
			8	रिक्त सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.) दुर्ग के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य संपादित करना तथा उनके निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं माननीय उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय से प्रत्यावर्तित किये गए प्रकरण एवं आदेश का पालन करना ।
			9	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना ।

10	1. अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा सदस्य अष्टम अतिरिक्त 2. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग 3. विशेष न्यायाधीश, दुर्ग (स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधि०, 1985)	सिविल जिला दुर्ग एवं सत्र खण्ड दुर्ग (तहसील पाटन एवं उप सत्र खण्ड पाटन को छोड़कर)	1	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।
			2	आरक्षी केन्द्र धमधा, आरक्षी केन्द्र बोरी एवं उसकी चौकी लिटिया, थाना सुपेला, थाना सुपेला की चौकी स्मृतिनगर से उत्पन्न समस्त आई.पी.सी./ भा०न्या०सं०,आर्म्स एक्ट तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से संबंधित भा०दं०संहिता / भा०न्या०सं० की विभिन्न धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं. / 482, 483 भा०ना०सु०स० जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार इस कार्यवितरण आदेश के तहत अन्य न्यायालय को दिया गया है, को छोड़कर, का निराकरण करना एवं आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त 4 भिलाई से आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से संबंधित जमानत आवेदन पत्रों का विधिवत् निराकरण करना।
			3	विधि एवं विधायी कार्यविभाग नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक-399/1382/XXI-B/C.G. /2023 दिनांक-02.05.2024 के अनुसार सत्र खण्ड दुर्ग के आरक्षी केंद्र भि०भटठी, जी०आर०पी० भिलाई-3, जी०आर०पी०, दुर्ग, पाटन, उतई, जामगांव (आर), पुलगांव., वैशाली नगर, महिला थाना, अंडा, नंदनी,अ.जा.क. से उत्पन्न एवं ऐसे आरक्षी केंद्र जिनका कार्यविभाजन में उल्लेख न हो, से संबंधित स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण व उनसे संबंधित विविध व अनुशांगिक कार्यवाहियों एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण करना।
			4	सिविल जिला दुर्ग से उद्भूत(तहसील पाटन को छोड़कर) सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन दस लाख एक रुपये से पन्द्रह लाख रुपये तक हो का निराकरण करना।
			5	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र 1. धमधा 2. बोरी 3. सुपेला के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			6	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलों का निराकरण करना।

			7	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, भिलाई-3, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, भिलाई-3 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, भिलाई-3 के न्यायालय द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित एवं विविध व्यवहार अपील का निराकरण।
			8	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरण, सिविल अपील, विविध सिविल अपील, विविध कार्यवाही, निष्पादन प्रकरण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण।
			9	रिक्त नवम्, दशम् एवं एकादश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग / रिक्त नवम्, दशम् एवं एकादश अतिरिक्त मोडुदोदा अधिकरण, दुर्ग के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य संपादित करना तथा उनके निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं माननीय उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय से प्रत्यावर्तित किये गए प्रकरण एवं आदेश का पालन करना।
11	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पाटन।	तहसील पाटन एवं उप सत्र खण्ड पाटन	1	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।
			2	समस्त सत्र प्रकरण। (उन सत्र प्रकरणों को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार अन्य विशेष न्यायालय को है।) समस्त आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक कार्यवाहियाँ।
			3	आरक्षी केन्द्र पाटन, रानीतराई, उतई (तहसील पाटन से संबंधित क्षेत्र), अमलेश्वर (तहसील पाटन से संबंधित क्षेत्र), जामगाँव (आर) से उत्पन्न समस्त आई.पी.सी. / भा0न्या0सं., आर्म्स एक्ट तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से संबंधित भा0दं0संहिता / भा0न्या0सं. की विभिन्न धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द. प्र.सं./ 482, 483 भा0ना0सु0स0 जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार इस कार्यवितरण आदेश के तहत अन्य न्यायालय को दिया गया है, को छोड़कर जमानत आवेदन पत्रों का विधिवत् निराकरण करना।

			4	तहसील पाटन के न्यायिक मजि० के न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, जिसमें आरोपी के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रों को निरस्त किये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत किये जाने वाले जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
			5	उक्त उप सत्र खंड से उत्पन्न होने वाले लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के उत्पन्न अभियोग पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण एवं विधिवत् निराकरण।
			6	उक्त उप सत्र खंड से उत्पन्न होने वाले ऐसे अभियोग पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण एवं विधिवत् निराकरण करना, जिसमें आरोपी पर अनु०जाति एवं जनजाति अत्या०नि० अधि०,1989 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि०,2012 दोनों का आरोप है।
			7	माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की अधिसूचना क्रमांक 4328/ दो-15-2/2012 बिलासपुर दिनांक-21.06.2013 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध उप सत्र खंड पाटन के अंतर्गत आने वाले सभी आरक्षी केन्द्रों के भा.दं.सं. की धारा 306, 304 (बी), 376, 354/ भा०न्या०सं०की धारा 108, 80 , 64 एवं 74 के तहत प्रस्तुत होने वाले, सत्र प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र का विधिवत् निराकरण करना।
			8	सिविल जिला दुर्ग के तहसील पाटन से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन दस लाख से अधिक हो का निराकरण करना।
			9	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र 1. पाटन, 2.रानीतराई, 3.उतई (तहसील पाटन से संबंधित क्षेत्र), 4. अमलेश्वर (तहसील पाटन से संबंधित क्षेत्र), 5.जामगाँव (आर) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			10	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलों का निराकरण करना।
			11	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, पाटन द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपील का निराकरण करना।

			12	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 से उत्पन्न समस्त प्रकरण एवं अपीलें (उन प्रकरणों को छोड़कर जिनके संज्ञान के अधिकारिता व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी को प्रदान किये गये हैं।)
			13	पांच सौ एक रुपये से एक हजार रुपये तक मूल्य के लघुवाद प्रकरण।
12	नवम् अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य नवम् अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दुर्ग			“रिक्त न्यायालय”
13	दशम् अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य नवम् अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दुर्ग			“रिक्त न्यायालय”
14	अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम फास्ट ट्रेक कोर्ट, विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग।			“रिक्त न्यायालय”
15	अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय फास्ट ट्रेक कोर्ट, विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग।			“रिक्त न्यायालय”
16	अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय फास्ट ट्रेक कोर्ट, विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग।			“रिक्त न्यायालय”
17	अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ फास्ट ट्रेक कोर्ट, विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग।	सत्र खण्ड दुर्ग (उप सत्र खण्ड पाटन को छोड़कर) थाना दुर्ग, पदमनाभपुर, जामुल, खुर्सीपार, भिलाई-03, नेवई, छावनी, भिलाई नगर, उतई (तह0पाटन से संबंधित क्षेत्र को छोड़कर) पुलगांव, धमधा, कुम्हारी, बोरी, अमलेश्वर (तह0पाटन से संबंधित क्षेत्र को छोड़कर) थाना भिलाई	1	उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के उत्पन्न अभियोग पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण एवं विधिवत् निराकरण।
			2	माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटिशन (क्रि.) क.-540/2020 रामस्वरूप राजवाड़े वि0 स्टेट ऑफ सी.जी. के आदेश दिनांक-10.12.2020 एवं Misc. Civil Case No.-138/2021 छ.ग. शासन वगै0 वि0 रामस्वरूप राजवाड़े में पारित आदेश दिनांक-07.06.2021 के अनुसार उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न ऐसे अभियोग पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 व 439 दं.प्र.सं./482, 483 भा0ना0सु0स0 की प्रस्तुतियों व विधिवत् निराकरण जिसमें आरोपी पर अनु. जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण), 1989 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 दोनों का आरोप है।

			3	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			4	रिक्त, अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय/तृतीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो) दुर्ग के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य संपादित करना तथा उनके निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं माननीय उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय से प्रत्यावर्तित किये गए प्रकरण एवं आदेश का पालन करना।
18	1. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश एवं सदस्य प्रथम अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अतिरिक्त अधिकरण दुर्ग (छ.ग.) 2. विशेष न्यायाधीश दुर्ग (विद्युत अधिनियम 2003)			"रिक्त न्यायालय"
19	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश दुर्ग (छ.ग.)			"रिक्त न्यायालय"
20	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन नौ लाख एक रुपये से दस लाख रुपये तक हो, का निराकरण करना।
			2	उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			3	सिविल जिला दुर्ग में स्थापित, लेकिन न्यायाधीश का स्थानान्तरण हो जाने अथवा पदस्थापना न होने के कारण रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित प्रकरणों का निराकरण करना एवं उक्त रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त कार्य।

			4	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			5	छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की धारा 139 एवं 178 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें।
			6	अन्य नियम एवं अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में पेश किये जाने योग्य प्रकरण एवं आवेदनों का निराकरण करना।
			7	लघुवाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन एक रुपये से पांच सौ रुपये तक हो, का निराकरण करना।
			8	विधि एवं विधायी कार्यविभाग नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक-7782/2124/21-ब/सी.जी./2019, दिनांक-02.08.2019 के अनुसार अधीनस्थ न्यायिक सेवा के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी की हैसियत से विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का (47) और विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधित) अधिनियम 2018 के अंतर्गत एक रुपये से दस लाख रुपये तक के वाद मूल्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की संविदा के संबंध में प्रस्तुत वाद का निराकरण करना।
21	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी दुर्ग के न्यायाधीश के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन एक रुपये से पचहत्तर हजार रुपये तक हो, का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			5	सिविल जिला दुर्ग में स्थापित, लेकिन न्यायाधीश का स्थानान्तरण हो जाने अथवा पदस्थापना न होने के कारण रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित प्रकरणों का निराकरण करना एवं उक्त रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त कार्य करना।

22	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी दुर्ग के न्यायाधीश	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन पचहत्तर हजार एक रुपये से एक लाख पचास हजार रुपये तक हो, का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
23	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी दुर्ग के न्यायाधीश	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन एक लाख पचास हजार एक रुपये से तीन लाख रुपये तक हो, का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
24	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी दुर्ग के न्यायाधीश	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन तीन लाख एक रुपये से चार लाख पचास हजार रुपये तक हो, का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।

25	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी दुर्ग के न्यायाधीश के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन चार लाख पचास हजार एक रुपये से छः लाख रुपये तक हो, का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
26	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी दुर्ग के न्यायाधीश के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			3	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
27	1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग 2. वाणिज्यिक न्यायालय (व्यवहार न्यायाधीश स्तर)	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन आठ लाख एक रुपये से नौ लाख रुपये तक हो, का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			5	दुर्ग जिले के सभी वाणिज्यिक मामले, जिनका मूल्य तीन लाख से दस लाख रुपये तक हो, जिसमें मध्यस्थ प्रकरण सम्मिलित नहीं हैं, का निराकरण करना।

28	1. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग 2. वाणिज्यिक न्यायालय (व्यवहार न्यायाधीश स्तर)	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसील से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन सात लाख एक रुपये से आठ लाख रुपये तक हो, का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			4	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के अंतर्गत तहसील दुर्ग एवं बोरी से उत्पन्न सभी प्रकरणों का निराकरण करना।
			5	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			6	बालोद एवं बेमेतरा जिले के सभी वाणिज्यिक मामले, जिनका मूल्य तीन लाख से दस लाख रुपये तक हो, जिसमें मध्यस्थ प्रकरण सम्मिलित नहीं हैं, का निराकरण करना।
29	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			“रिक्त न्यायालय”
30	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसील से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन छः लाख एक रुपये से सात लाख रुपये तक हो, का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।

31	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			“रिक्त न्यायालय”
32	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, दुर्ग			“रिक्त न्यायालय”
33	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			प्रशिक्षु न्यायाधीश।
34	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			“रिक्त न्यायालय”
35	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			“रिक्त न्यायालय”
36	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			“रिक्त न्यायालय”
37	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			“रिक्त न्यायालय”
38	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			“रिक्त न्यायालय”
39	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			“रिक्त न्यायालय”
40	नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			प्रशिक्षु न्यायाधीश
41	दशम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।

			2	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
42	एकादश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			प्रशिक्षु न्यायाधीश
43	द्वादश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			प्रशिक्षु न्यायाधीश
44	त्रयोदश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।			प्रशिक्षु न्यायाधीश
45	चतुर्दश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			प्रशिक्षु न्यायाधीश
46	पंचदश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी		“रिक्त न्यायालय”
47	षोडश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			“रिक्त न्यायालय”
48	सप्तदश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुशांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।

49	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश			प्रशिक्षु न्यायाधीश
50	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश			प्रशिक्षु न्यायाधीश
51	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश			प्रशिक्षु न्यायाधीश
52	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, भिलाई-3	सिविल जिला दुर्ग की तहसील भिलाई-3, अहिवारा	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसील से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन एक रुपये से दस लाख रुपये तक हो, का निराकरण करना।
			3	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरणों एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों का तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			5	रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, भिलाई-3 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कनिष्ठ श्रेणी, भिलाई-3 के न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित प्रकरणों का निराकरण करना एवं उक्त रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त कार्य।
			6	अन्य नियम एवं अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, भिलाई-3 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके न्यायालय में पेश किये जाने योग्य प्रकरणों एवं आवेदनों का निराकरण करना।
			7	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के अंतर्गत तहसील भिलाई-3 एवं अहिवारा से उत्पन्न सभी प्रकरणों का निराकरण करना।
			8	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन एक रुपये से पॉच सौ रुपये तक हो, का निराकरण करना।

53	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, भिलाई-3	सिविल जिला दुर्ग की तहसील भिलाई-3, अहिंवारा		"रिक्त न्यायालय"
54	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, भिलाई-3 के न्यायालय के प्रथम अति० न्यायाधीश	सिविल जिला दुर्ग की तहसील भिलाई-3, अहिंवारा		"रिक्त न्यायालय"
55	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, पाटन	तहसील पाटन (तहसील भिलाई-3, अहिंवारा को छोड़कर)	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसील से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन एक रुपये से दस लाख रुपये तक हो, का निराकरण करना।
			3	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरणों एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
			4	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, पाटन के न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित प्रकरणों का निराकरण करना।
			5	अन्य नियम एवं अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, पाटन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके न्यायालय में पेश किये जाने योग्य प्रकरणों एवं आवेदनों का निराकरण करना।
			6	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के अंतर्गत तहसील पाटन (तहसील भिलाई-3, अहिंवारा को छोड़कर) से उत्पन्न सभी प्रकरणों का निराकरण करना।
			7	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन एक रुपये से पॉच सौ रुपये तक हो, का निराकरण करना।
			8	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।

56	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी दुर्ग के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान धमधा	तहसील धमधा	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसील से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन एक रुपये से दस लाख रुपये तक हो, का निराकरण करना।
			3	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के अंतर्गत तहसील धमधा से उत्पन्न सभी प्रकरणों का निराकरण करना।
			4	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरणों एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
			5	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों का तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।

- नोट:- 01. शंकाओं के निराकरण के लिए यह भी आदेशित किया जाता है कि जमानत आवेदन उक्त आदेशानुसार प्रस्तुत किये जायेंगे और उसका विधिवत् पंजीयन संबंधित न्यायालय द्वारा ही किया जावेगा और निराकरण के बाद संबंधित न्यायालय द्वारा ही विधिवत् अरेंज कर अभिलेखागार में जमा किया जावेगा।
02. जिस न्यायालय द्वारा प्रथम जमानत आवेदन-पत्र का निराकरण किया गया है। उसी अपराध से संबंधित द्वितीय, पश्चात्पूर्ती जमानत आवेदन-पत्र या सह-आरोपी के जमानत आवेदन-पत्र उसी न्यायालय में सीधे प्रस्तुत एवं निराकृत किये जायेंगे।
03. मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत कम मात्रा (Small Quantity) के मादक पदार्थ से संबंधित अपराध के जमानत आवेदन पत्र उसी न्यायालय में प्रस्तुत एवं निराकृत होंगे, जिस न्यायालय को कार्यविभाजन आदेश के अनुसार उक्त आरक्षी केन्द्र आबंटित किया गया है।


 (डॉ० प्रज्ञा पचौरी)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ.ग.)

—: संशोधित कार्य विभाजन आदेश :—

क्रमांक ०७ / सां.लि. / एक-11-1 / 98

दुर्ग, दिनांक—...../4/2025

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10 (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-8 तथा व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1956 की धारा 13 एवं धारा 21 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न तालिका के खण्ड क्रमांक-2 में दर्शित न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति व न्यायालय रिक्त होने की दशा में (ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश की अनुपस्थिति सम्मिलित करते हुये) खण्ड क्रमांक-3 में दर्शित न्यायालय के न्यायाधीश को खण्ड क्रमांक-2 में दर्शित न्यायालय का आवश्यक सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य का संपादन करने हेतु अधिकृत किया जाता है, जिसमें अस्थायी निशेधाज्ञा, जमानत आवेदन व अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य भी सम्मिलित हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य परिशिष्ट-ए एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य परिशिष्ट-बी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य परिशिष्ट-सी के अनुसार संपादित किये जायेंगे।

<u>परिशिष्ट-ए</u>		
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश हेतु		
क्र.	न्यायालय का नाम	आवश्यक कार्य हेतु अधिकृत न्यायालय
1	2	3
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन।
2.	अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, दुर्ग	अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन।
3.	अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय(पॉक्सो) दुर्ग	अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट, दुर्ग एवं इनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन।

4.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	1. छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 6435/डी. 2812/21 ब, रायपुर दिनांक 07.12.2001 के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत विशेष न्यायाधीश, दुर्ग की अनुपस्थिति में:- चतुर्थ/षष्ठम्/सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन। 2. विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम 2003) दुर्ग के मामले प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में :- तृतीय /द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन। 3. शेष अन्य मामले (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं विद्युत अधिनियम के मामले को छोड़कर) :- तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन।
5.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	1. विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम 2003) दुर्ग के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में :- प्रथम/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन। 2. शेष अन्य मामले (विद्युत अधिनियम के मामले को छोड़कर) :- तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन।
6.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम 2003) दुर्ग के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में :- द्वितीय/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन। शेष अन्य मामले (विद्युत अधिनियम मामले को छोड़कर) :- चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन।
7.	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	1. विशेष प्रकरण (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) दुर्ग के प्रकरणों की सुनवाई हेतु चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग की अनुपस्थिति में :- षष्ठम्/प्रथम/सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन। 2. शेष अन्य मामले (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामले को छोड़कर):- षष्ठम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन। 3. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रकरण चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग की अनुपस्थिति में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग एवं उनकी अनु० में, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एवं इन सबकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन।

8.	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन।
9.	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	1. विशेष प्रकरण (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) दुर्ग के प्रकरणों की सुनवाई हेतु षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग की अनुपस्थिति में :- प्रथम/चतुर्थ/सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन। 2. शेष अन्य मामले (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामले को छोड़कर):- षष्ठम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग की अनुपस्थिति में :- अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन।
10	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	1. विशेष प्रकरण (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) दुर्ग के प्रकरणों की सुनवाई हेतु सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग की अनुपस्थिति में :- षष्ठम/प्रथम/चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/ पाटन। 2. शेष अन्य मामले (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामले को छोड़कर):- षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन।
11.	अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	1. षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन। 2. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रकरण अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग की अनुपस्थिति में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग एवं उनकी अनु0 में, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एवं इन सबकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग/पाटन।
12.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पाटन।	1. तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।

परिशिष्ट बी

1	2	3
1	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	प्रथम व्य0न्या0 वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम अति0न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय/तृतीय/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में क्रमशः व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी भिलाई-03/ व्य0न्याया0 वरिष्ठ श्रेणी पाटन/प्रथम व्य0न्या0 वरिष्ठ श्रेणी दुर्ग के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश धमधा।
2	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्या0के प्रथम अति0न्यायाधीश।	प्रथम व्य0न्या0 वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम अति0न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय/तृतीय/पंचम /प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में क्रमशः व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी भिलाई-03/ व्य0न्याया0 वरिष्ठ श्रेणी पाटन/प्रथम व्य0न्या0 वरिष्ठ श्रेणी दुर्ग के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश धमधा।

नोट:-

01. माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 14754, दिनांक 8/11/2023 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 15250, दिनांक 23/11/2023 एवं ज्ञापन क्र० 15520, बिलासपुर, दिनांक 29/11/2023 के परिपालन में अत्यावश्यक कार्य के परिशिष्ट-ए, बी एवं सी में खंड क्रमांक-2 के लिये खंड क्रमांक-3 के न्यायाधीश को लिंक न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। लिंक न्यायाधीश, अवकाश/अनुपस्थित रहने वाले न्यायाधीश के न्यायालय में उस दिन उपस्थित साक्षियों का साक्ष्य, यदि संभव हो तो, अभिलिखित करेंगे, यदि साक्षियों का साक्ष्य लेना संभव न हो तो, उस साक्षी को लोक सेवक न होने की दशा में पाबंद करेंगे तथा अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश के कार्य पर वापस आने (ज्वाइन करने) की तिथि से, तीन दिन से ज्यादा की तिथि उस प्रकरण में नहीं देंगे। लिंक न्यायाधीश, अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश के सभी सिविल एवं दांडिक प्रकरणों को देखेंगे तथा उनकी सुनवाई संभव न होने पर अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश के कार्य पर वापस आने की तिथि से, तीन दिन से ज्यादा की तिथि उस प्रकरण में नहीं देंगे तथा किसी भी दशा में ऐसे प्रकरण में प्रस्तुतकार द्वारा स्थगन नहीं दिया जावेगा।
02. पीठासीन अधिकारी के दीर्घावकाश (ग्रीष्मकॉलीन एवं शीतकॉलीन अवकाश) में होने पर उनके न्यायालय में लंबित एक्शन प्लान के प्रकरण से संबंधित मामलों की सुनवाई अन्य पीठासीन अधिकारी/नियुक्त लिंक ऑफिसर के द्वारा की जावेगी।

(डॉ० प्रज्ञा पचौरी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (छ०ग०)

पृष्ठांकन क्र. 1121/सां.लि./एक-11-1/98,

दुर्ग दिनांक- 01/4/2025

प्रतिलिपि:-

1. समस्त न्यायालय, जिला दुर्ग।
2. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ दुर्ग/मिलाई-3/पाटन/धमधा।
3. शासकीय अभिभाषक, दुर्ग।
4. जिला अभियोजन अधिकारी, दुर्ग।
5. वरिष्ठ कोर्ट मैनेजर, दुर्ग।
6. प्रशासनिक अधिकारी/न्यायालय उपाधीक्षक, दुर्ग।
7. प्रस्तुतकार न्यायालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(डॉ० प्रज्ञा पचौरी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (छ०ग०)